



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("'उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी जीरज चन्द्रानी श्वं श्रीमती पूजा अग्रवाल

C - 173 / 728 बैतिया छाता

गोरखपुर

पत्रांक 241

नि० प्रा० २०१७/५८

दिनांक 6-7-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या..... ०६ योजना बैतिया छाता दाक्षीणी नगर गोरखपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ३०.०६.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या १२/८०९

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 6-7-2017 से ५-७-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मैटी हेतु ३१। ९९ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये २७५। ०० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

6/7/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पू० सं० २४१

/उपरोक्त

दिनांक 6-7-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/7/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

Ramt



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी सन्दीप लौका
निलामी - राजगढ़ नॉ. ३० गोपनीय
तहसील सदर, ज़िला गोरखपुर

नि० प्रा० २०१६/४७

पत्रांक 19

दिनांक 13-1-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या १३ योजना वीतिआहाता नगर गोरखपुर निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०२.०१.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ०२/५६४ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक 13-1-2017 से 12-1-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ३०१.१६ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये २२६.०७ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
७. प्रथम चरण स्वीकृति है जिसमें भूतल पर मिर्गीय की अनुश्रृति प्रदान की गयी है। चाल से गुड़ी होने पर की चाल पर मिर्गीय स्वीकृत मानवित्र के अनुसार हुँ अनुनीतियों के विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक नियोजक समिति की जायेगी।

पृ० सं० १९

/ उपरोक्त

तददिनांक 13-1-2017

प्रतिलिपि:-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ३७ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गोरखपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
कार्यालय